(वाद संख्या–4296/12)

17.10.2019

परिवादी, विनोद कुमार सिंह, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

मामले से संबंधित तथ्य निम्नलिखित है :–

परिवादी, विनोद कुमार सिंह, लिपिक, विधायक अस्पताल, गार्डिनर रोड, पटना से सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी ओर से 24 जुलाई, 2000 से दिनांक–24.12.2004 तक के बकाया वेतन, सेवा काल में निलंबन अवधि के जीवन निर्वाह भत्ता, पेंशन, उपादान एवं अर्जित अवकाश के भुगतान हेतु आयोग के समक्ष परिवाद–पत्र दिया गया है। परिवादी का कथन है कि उसे दिनांक–24. 07.2000 से 30.09.2004 तक के बकाया वेतन के भुगतान को छोड़कर परिवाद–पत्र में उल्लेखित सभी सेवांत लाभों का भुगतान किया जा चुका है साथ ही साथ उसे दण्डात्मक पेंशन (मूल पेंशन का 30 प्रतिशत तथा उपादान का 30 प्रतिशत) का भी भुगतान किया जा रहा है/किया जा चुका है।

दिनांक–24.07.2000 से 30.09.2004 तक के बकाया वेतन तथा उक्त अवधि में निलंबित रहने के कारण जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की ओर से इस आशय का प्रतिवेदन दिया गया कि श्री सिंह दिनांक–24.07.2000 से दिनांक–24.09.2004 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति में ही वह सेवानिवृत्त हो गये। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–24.07.2000 से 30.09.2004 तक का परिवादी के तथाकथित बकाया वेतन के भुगतान न किये जाने के संबंध में दिनांक 13.04.2016 को **एक सकारण आदेश** पारित किया गया है जो संचिका के पृ0–246/प0 पर रक्षित है। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी से संबंधित अन्य मामले के संबंध में परिवादी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका सं0–15609/2018 दाखिल किया गया है जो वर्तमान में सुनवाई हेतु लंबित है। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना का कथन है कि उक्त समादेश याचिका में मा0 पटना उच्च न्यायालय के आदेष के आलोक में परिवादी के संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जायगी।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लेखित मामले को आयोग द्वारा दिनांक– 16.08.2016 को इस निर्देश के साथ बंद कर दिया गया था कि परिवादी अगर चाहें तो अपने शिकायतों को निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के समक्ष सीधे उठा सकते हैं। पुनः परिवादी के प्रार्थना पर आयोग द्वारा प्रसंगाधीन मामले को प्रारंभ किया गया था तथा पुनः दिनांक–23.01.2019 को इस निर्देश के साथ प्रस्तुत मामले को बंद कर दिया गया कि परिवादी अपने शिकायतों को सक्षम न्यायालय के समक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। तत्पष्चात् पुनः दिनांक–12.02.2019 को परिवादी द्वारा दिनांक–24.07.2000 से 30.09.2004 तक के वेतनादि के भुगतान हेतु आयोग में याचिका दाखिल की गयी जिसमें उनका कथन है कि निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, विधायक अस्पताल, पटना को उपरोक्त अवधि के

बकाया वेतन के भुगतान हेतु अपने पत्रांक–07 (04), दिनांक–09.01.2017 द्वारा निर्देश दिया गया है। हालांकि, उक्त निर्देश का उल्लेख व सत्यापन आयोग के समक्ष समर्पित प्रतिवेदन में स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा नहीं किया गया है बल्कि उन्होंने यहाँ तक प्रतिवेदित किया है कि उपरोक्त अवधि के अनाधिकृत अनुपस्थिति के आधार पर उपरोक्त अवधि के बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता है (सकारण आदेश द्वारा)।

प्रस्तुत मामला सेवा से संबंधित है तथा दिनांक– 24.07.2000 से 30.09.2004 तक के बकाया वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में एक सक्षम प्राधिकार द्वारा लिखित रूप में सकारण आदेश पारित किया गया है। परिवादी अगर उक्त सकारण आदेश से असंतुष्ट हैं तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है। आयोग के स्तर पर **सेवा के संबंध में किसी भी तरह का निर्देश दिया जाना उचित नहीं है,** वह भी तब जब परिवादी के सेवा सेवान्त लाभ से सम्बन्धित कुछ विषय माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

आयोग के स्तर पर प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है। आज परिवादी की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति परिवादी को उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक